



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा-2016/6505

दिनांक: 23/12/2016

परीक्षा आवेदन भरने संबंधी विज्ञप्ति

राजस्थान विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा 2017 के लिये जारी पूर्व विज्ञप्ति दिनांक 28.11.2016 के क्रम में सूचित किया जाता है कि समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर (वार्षिक पद्धति) नियमित, स्वयंपाठी, पूर्वछात्र एवं डिप्लोमा, सर्टिफिकेट (बी.बी.ए. सेमेस्टर को छोड़कर) परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिये विलम्ब शुल्क रूपये 100/- सहित ऑनलाईन आवेदन पत्र वेबसाइट www.univraj.org से भरने की तिथि दिनांक 31.12.2016 तक बढ़ायी जाती है। परीक्षा शुल्क पूर्ववत ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से ही जमा होगा।

[Handwritten Signature]
23/12/16

परीक्षा नियंत्रक

दिनांक: 23/12/2016

क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा-2016/6506-44

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

- समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल्स एवं प्राचार्य, संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि:
 - अधिनियम-144 के अनुसार नियमित परीक्षार्थियों के लिये 75% उपस्थिति अनिवार्य है। 75% से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों की संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त सूची के आधार पर वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
- कुलसचिव, महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय, भरतपुर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर/राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
- निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
- वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- प्रबन्ध निदेशक, MD, RISL, राजस्थान सरकार, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
- सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, योजना भवन, सी-स्कीम, जयपुर।
- निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी परीक्षा संचालन व गोपनीय अनुभाग/शैक्षणिक -द्वितीय/सेलर। व ।।, परीक्षा विविध, रिकार्ड शाखा, रोकड़ शाखा, रा.वि.वि., जयपुर।
- जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के सातों जिलों में प्रसारित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर) में एक बार प्रकाशित करवाने एवं समाचार के रूप में भी प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
- निदेशक, छात्र सलाहकार केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- छात्र सेवा एवं परामर्श केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म।

[Handwritten Signature]

उप कुलसचिव (परीक्षा)